

24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. ATC TOWER COMPANY OF INDIA PRIVATE LIMITED, S-2 level, Upper Ground Floor, Block F, International Trade Tower, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.2,08,235 (Rs. Two Lac Eight Thousand Two Hundred Thirty Five) only on the aggregate value of shares of Rs. 20, 82,34,220 for equity Share certificates with distinctive Nos. 8,68,77,095 to 10,77,00,516 to be issued by the said company.

दिल्ली, 4 फरवरी, 2010

सं. फा. 10 (965)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10205.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री जीएमएस कन्सल्टेंट प्रा. लि., के-39, कनाट प्लेस, नई दिल्ली, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 5,04,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 50,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 504 (रुपये पांच सौ चार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 4th February, 2010

No. F. 10(965)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10205—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. GMS Consultant Private Limited, K-39, Connaught Place, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs.504 (Rs. Five Hundred Four) only on the aggregate value of shares of Rs. 5,04,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 10,001 to 50,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (999)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10202.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री वीएई वीकेएन इण्डस्ट्रीज प्रा. लि., 24/5, श्री राम रोड, सिविल लाईन, दिल्ली-110054, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 2,06,37,500 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2,34,86,802 से 2,43,12,301 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 20,638 (रुपये बीस हजार छः सौ अड़तीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(999)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10202—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE
AUTHORITY

ORDER

Delhi, the 1st February, 2010

No. F. 10(1044)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10129.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the

sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. VAE VKN Industries Private Limited, 24/5, Sri Ram Road, Civil Lines, Delhi -110054 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.20,638 (Rs. Twenty Thousand Six Hundred Thirty Eight) only on the aggregate value of shares of Rs. 2,06,37,500 for equity Share certificates with distinctive Nos. 2,34,86,802 to 2,43,12,301 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1036)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10203.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री वेल इंडिया प्रा.लि., ब्लाक बी-1, एफ-2, मोहन कोपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 59,54,560 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,75,79,746 से 1,81,75,201 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूप 5955 (रुपये पांच हजार नौ सौ पचपन) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1036)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10203.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Vale India Private Limited, B-1, F-2, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.5955 (Rs. Five Thousand Nine Hundred Fifty Five) only on the aggregate value of shares of Rs. 59,54,560 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 1,75,79,746 to 1,81,75,201 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1059)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10204.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री अन्टार्कटीका होस्पिटैलीटी प्रा.लि., 1-ए वन्दना, 11, टोल्सटोय मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,70,26,650 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 74,66,165 से 75,79,675 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूप 17,027 (रुपये सतरह हजार सत्ताईस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10 (1059)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10204—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Antarctica Hospitality Limited, 1-A, Vandhna, 11, Tolstoy Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.17,027 (Rs. Seventeen Thousand Twenty Seven) only on the aggregate value of share of Rs. 1,70,26,650 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 74,66,165 to 75,79,675 to be issued by the said company.

सं. फा. 10(1054)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10199.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एनडीडीबी डेयरी सर्विसस प्रा.लि., एनडीडीबी हाउस, सफदरजंग इन्कलेव, नई दिल्ली-110029, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 10,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूप 10,000 (रुपये दस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1054)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10199.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. NDDB Dairy Services Private Limited, NDDB House, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.10,000 (Rs. Ten Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,00,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 1 to 10,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1068)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10200.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि., कमरा नं. 101/ए, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 99,77,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 25,82,301 से 35,80,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूप 9,97,700 (रुपये नौ लाख सत्तानबे हजार सात सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10 (1068)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10200.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd., 101-A, Rail Bhawan, Raisina Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.9,97,700 (Rs. Nine Lac Ninety Seven Thousand Seven Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 99,77,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 25,82,301 to 35,80,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1058)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10201.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री फोजल पावर प्रा.लि., 1421, चौदहवीं मंजिल, अंसल टावर, 38 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 6,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयर्स जिनकी पृथक संख्या 01 से 6,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 60,000 (रुपये साठ हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1058)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10201.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Fozal Power Private Limited, 1421, 14th Floor, Ansal Tower, 38 Nehru lace, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.60,000 (Rs. Sixty Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 6,00,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 01 to 6,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1056)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10198.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री बंसल क्रेडिट्स लि., 1, अंसारी रोड, दूसरी मंजिल, दरियागंज, नई दिल्ली-110002, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 11,64,000 मूल्य के सेक्योरिटी डिडिमेबल, नन कनवर्टिबल, डिबेन्चर (सीरीज पी) जिनकी पृथक संख्या 0130893 से 0132056

है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 1164 (रुपये एक हजार एक सौ चौंसठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1056)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10198.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Banasl Credits Limited, 1, Ansari Road, 2nd Floor, Daryaganj, New Delhi-110002, shall pay a consolidated stamp duty of Rs.1164 (Rs. One Thousand One Hundred Sixty Four) only on the aggregate value of debentures of Rs.11,64,000 only on the aggregate value of debentures of Rs.11,64,000 for issue of Secured, redeemable, Non Convertible, debentures Series 'P' bearing distinctive No. 01,30,893 to 01,32,056 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1033)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10197.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मेगनम डेस्टिनेशन मनेजमेन्ट प्रा.लि., सी-67, ईस्ट एंड अपार्टमेंट, अशोक नगर, मयूर विहार, फेस-1, दिल्ली-110062, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयर्स जिनकी पृथक संख्या 01 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1033)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10197.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Magnum Destination Management Private Limited, C-67, East End Apartment, Ashok Nagar, Mayur Vihar, Phase-I, Delhi-110092 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.100 (Rs. One Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 01 to 10,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1038)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10196.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री वैसले क्लोवर कम्प्यूनिकेशन सोलुशन्स प्रा. लि., 18, कोटला लेन, राउज ऐवन्यू, नई दिल्ली-110002,

द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 29,79,600 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 14,18,061 से 17,16,020 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 2980 (रुपये दो हजार नौ सो अस्सी) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10 (1038)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10196—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Wesley Clover Communication Solutions Private Limited, 18, Kotla Lane, Rouse Avenue, New Delhi-110002 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2980 (Rs. Two Thousand Nine Hundred Eighty) only on the aggregate value of shares of Rs. 29,79,600 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 14,18,061 to 17,16,020 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1047)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु. /08/10195.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ.148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स पंजाब एण्ड सिंध बैंक, 21, बैंक हाउस, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 200,00,00,000 मूल्य के अनसेक्योर्ड, रिडिमेबल, बण्डस जो कि (प्रोमोजरी नोट) के रूप में हैं, जिनकी पृथक संख्या 0001 से 2000 (सीरीज-XII) है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 20,00,000 (रुपये बीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10 (1047)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10195—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Punjab and Sind Bank, 21, Bank House, Rajendra Place, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 20,00,000 (Rs. Twenty Lac) only on the aggregate value of Rs. 200,00,000 for unsecured redeemable Series XII bonds in the nature of promissory note with distinctive No. 0001 to 2000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (917)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु. /08/10192—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ.148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स लाइफ इन्श्योरेंस करपोरेशन आफ इंडिया, डी.ओ.-II, स्काप मीनार, नौवीं मंजिल, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092, द्वारा अग्रिम मुद्रांक शुल्क के रूप में रुपये 1,90,00,000 (रुपये एक करोड़ नब्बे लाख) जो कि उनके द्वारा जनवरी 2010 से मार्च 2010 तक जारी की जाने वाली विभिन्न बीमा पोलिसियों पर देय होगा। कम्पनी उक्त अवधि के समाप्त होने के तुरन्त बाद या उक्त मुद्रांक शुल्क के पूरी तरह उपयोग होने के तुरन्त बाद जो भी पहले हो इस राशि के उपयोग का प्रमाणपत्र जो कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा जारी एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो इस कार्यालय में जमा करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से
विनय कुमार, संयुक्त सचिव, (राजस्व)

No. F. 10(917)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10192—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Life Insurance Corporation of India, D.O.-II, Scope Minar, 9th Floor, Laxmi Nagar, Delhi-110092 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,90,00,000 (Rs. One Crore Ninety Lac) only in advance Chargeable on policy of Insurance to be issued by the said company during the period 1-1-2010 to 31-3-2010 subject to condition that company shall submit a certificate issued by Chartered Accountant and countersigned by Authorized Signatory regarding the utilization of above said stamp duty paid immediately after completion of above said period or after consumption of above amount.

By Order
of Chief Controlling Revenue
Authority Government of National Capital Territory
Of Delhi,
VINAY KUMAR, Jt. Secy. (Revenue)